समाचार-प्रकाशनार्थ:-

ईश प्रेम बस्ती व मोती नगर स्थित कुष्ठ रोगी बस्ती के रहवासियों को शीघ्र मिलेगा धोलावाड़ का मीठा पानी
निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्थलों का निरीक्षण

रतलाम 01 सितम्बर। धोलावाड़ रोड स्थित ईष प्रेम बस्ती व मोती नगर स्थित कुश्ट रोगी बस्ती के रहवासियों को धोलावाड़ का मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए पूर्व क्षेत्रिय पार्शद प्रतिनिधि श्री राकेष मीणाए पूर्व पार्शद श्री सतीष भारतीय के साथ स्थलों का निरीक्षण कर पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने के निर्देष संबंधितों को दिये।
निगम आयुक्त श्री झारिया को निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्रों में पेयजल पाईप लाईन डाली जाकर उन्हे मुख्य पाईप लाईन से जोड़ा भी जा चुका है किन्तु रोड़ निर्माण के दौरान पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने से उक्त दोनो क्षेत्रों में पेयजल सप्लाय नहीं हो पा रहा हैए पाईप लाईन दुरस्ती के पष्चात उक्त दोनो क्षेत्रों में पेयजल सप्लाय के साथ ही षंकरगढ़ व राम नगर में पेयजल सप्लाय प्रारंभ किया जा सकता है।
इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि पाईप लाईन दुरस्ती का कार्य षीघ्र किया जाकर पेयजल सप्लाय प्रारंभ की जाये साथ ही कैम्प लगाकर नागरिकों की जलकर डायरी भी 10 दिनों में बनाई जाये।
मोती नगर के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी भवन निर्माण कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया ने अवलोकन कर हितग्राहियों से भवन निर्माण हेतु अब तक कितनी किष्ते प्राप्त हुई है की जानकारी ली।

सुभाष शॉपिंग काम्लेक्स की दुकाने विक्रय हेतु कार्यशाला संपन्न
कार्यशाला में निविदा प्रक्रिया व शर्तों से कराया अवगत

रतलाम 01 सितम्बर । षहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग महू रोड पर स्थित सुभाशचन्द्र षॉपिंग काम्पलेक्स की 99 दुकानों के विक्रय हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषन में अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में कार्यषाला का आयोजन किया गया जिसमें व्यापारीए दुकानदार व नागरिकों को दुकानें क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया व षर्तों से अवगत कराया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया आयोजित कार्यषाला में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सुभाशचन्द्र षॉपिंग काम्पलेक्स में निर्मित जानकारी से नागरिकों को अवगत कराते हुए बताया कि 102 दुकानों मे से षेश 99 दुकानों का विक्रय नगर निगम द्वारा ऑन लाईन निविदा के माध्यम से किया जाना है जिसकी निविदा षीघ्र जारी की जायेगी।

उन्होने बताया कि षहर की आबादी के मान से दुकानों का आरक्षण तय कर दिया गया है साथ ही कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार दुकानों का आरक्षित मूल्य भी तय कर दिया गया है। वर्तमान में दुकानों की रंगाई-पुताई व मरम्मत का कार्य प्रारंभ है। काम्पलेक्स में निगम द्वारा कार्यालय संचालित किया जा रहा है कोई भी नागरिक कार्यालय समय में उपस्थित होकर दुकानों की जानकारी लेने के साथ ही दुकानों को देख भी सकते है। इस अवसर पर उन्होने बताया कि दुकान आवंटन होने पर 25 प्रतिषत राषि व 120 दिवस या उससे पहले संपूर्ण राषि जमा कराने पर एक सप्ताह में रजिस्ट्र संपादित करा दी जायेगी। आवंटन के समय यदि एक साथ 10 वर्श की लीजरेंट राषि जमा करा दी जाती है तो उसे फ्री होल्ड किया जाकर संपूर्ण मालिकाना हक प्राप्त होगा इसके पष्चात सिर्फ वार्शिक भू-भाटक ही जमा कराना होगा।

कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास ने इस अवसर पर ऑन लाईन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दुकान क्रय करने वाले व्यक्ति को ऑन लाईन टेण्डर भरे जाने हेतु सर्विस प्रोवाईडर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

आयोजित कार्यषाला उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए में कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र षर्माए श्री षैलेन्द्र गोठवाल के अलावा सर्वश्री मुर्तजा तालवालाए राजेन्द्र मूणतए हुसैन जमालीए इलियास खानए षोएब खानए मनीश जोषीए प्रमोद जोगीए उत्कर्श आचार्यए आदर्ष आचार्यए पी.के. आचार्यए मोहम्मद नावेदए राजुए अंकित जैनए गौरव रसेलाए अनोखीलाल राठौड़ए लक्की राठौड़ए रवि प्रजापतए अनिल भटनागरए राहूल वोरा सहित व्यापारीए दुकानदार व नागरिक उपस्थित थे।

सागोद रोड क्षेत्र से हटाई 75 अवैध गुमटियां
अवैध गुमटीधारी अपनी गुमटी स्वंय हटा लें

रतलाम 01 सितम्बर । शहर के मुख्य मार्गो के आसपास अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को हटाने व राजसात करने अभियान के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में सागोद रोड जैन स्कूल से रेलवे ब्रीज तक लगी 75 अवैध स्थाई व अस्थाई गुमटियों को नगर निगम के राजस्व व लोक निर्माण विभाग के अमले द्वारा हटाया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में सागोद रोड जैन स्कूल से स्थाई व अस्थाई अवैध गुमटियां हटाने का कार्य प्रातः प्रारंभ किया गया जिसके तहत रेलवे ब्रीज तक 75 अवैध गुमटियां हटाई गई व 13 गुमटियों को राजसात किया गया। नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अवैध गुमटियां हटाने की शुरूआत की गई जिसके तहत 75 अवैध गुमटियां हटाई जाकर 13 गुमटियों को राजसात किया गया। शहर के मुख्य मार्गो पर लगी अवैध गुमटियों को हटाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध गुमटी धारी अपनी गुमटियां स्वंय हटा लें अन्यथा गुमटियों को हटाकर राजसात किया जायेगा साथ ही जुर्माना भी वसूला जायेगा।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदारए मनीष तिवारीए ब्रजेश कुशवाहए सहायक राजस्व निरीक्षक श्री सुनील कपूर व राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग का अमला उपस्थित था।

पषु पालक षहरी क्षेत्र में नहीं करें भैंसो का पालन

भैंसो के बाढ़े व तबेलों को आज से हटाया जायेगा

रतलाम 01 सितम्बर । रतलाम शहर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में भैंसो के बाढ़े व तबेलो का सर्वे पूर्ण किया जाकर 29 तबेले चिन्हित किये गये है जिन्हे 02 सितम्बर गुरूवार से हटाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंस की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचालित सभी तबेलो का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसो का पालन करना निगम एक्ट के विपरित हैए ऐसे भैंस पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले का निर्माण कर भैंसो का पालन कर रहे है वे स्वंय अपने तबेलो को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

1 सितम्बर को 34 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 01 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 01 सितम्बर बुधवार को 34 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

01 सितम्बर बुधवार को डम्पर से 17700ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 5810ए काम्पेक्टर गीला 8660ए मैजिक 2770 किलो इस तरह कुल 34940 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नो पार्किंग मंे खड़े 6 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 01 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैए उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 01 सितम्बर बुधवार को नो पार्किंग में खड़े 6 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 01 सितम्बर मंगलवार को चांदनी चौक क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर हेमन्त-जसवंत सोनी गुजरात व गौरव-विजेन्द्र गादिया चांदनी चौक पर 500.500ए संभव-सुभाषए नवदीप-जयंतलाल मूणतए विशाल-ईश्वरसिंह व नवीन-रमेशचन्द्र राहोरी पर 200.200 रूपये का जुर्माना किया गया।

12512 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 01 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 01 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 12512 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 01 सितम्बर को अलकापुरीए जवाहर नगरए इन्द्रलोक नगरए विनोबा नगर क्षेत्र से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 01 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 01 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 01 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/01ण्09ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.